रजिस्ट्री सं० डी० (डी० एल०)-72 REGISTERED No. D. (D.L.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 477] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 20, 1986/कार्तिक 29, 1908
No. 477] NEW DELHI, THURSDAY, NOV. 20, 1986/KARTIKA 29, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 1986

अधिसूचना

का० आ० 850(अ) :—केन्द्रीय सरकार, तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 (1976 का 13) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवा-निवृत्त न्यायमूर्ति माननीय श्री डी० आर० खन्ना को समपहृत सम्पत्ति अपील अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त करती है ।

[सं 33/86/फा सं 22/7/86-प्रशा-I सी]

ए के सिन्हा, डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 18th November, 1986

NOTIFICATION

S.O. 850(E) :—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12 of the Smugglers and Foreign Exchange Manipulators (Forfeiture of Property) Act, 1976 (13 of 1976), the Central Government hereby appoints Hon'ble Shri Justice D. R. Khanna, retired Judge of the Delhi High Court, as Chairman, Appellate Tribunal for Forfeited Property.

[No. 33|86 (F. No. 22|7|86-Ad. IC)]

A. K. SINHA, Desk Officer

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986